

IS 15700:2018



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध-गाजियाबाद

हॉल नं0- एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012

पत्रांक- 1166 सं0प्र0-3/पंजी0/2025

दिनांक 11/09/2025

आवंटन/ पात्रता चयन सम्बन्धित सूचना

मेरठ जोन के अन्तर्गत मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-5ए में विभिन्न प्रकार के 226 नग स्व-वित्त-पोषित सेमीफिनिशड भवनों हेतु दिनांक 17.07.2025 से 27.08.2025 तक पंजीकरण खोला गया था, जिनका आवंटन/ पात्रता चयन दिनांक 22.09.2025 को शासनादेशों/ परिषद विनियमों के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भवनों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	लॉटरी ड्रा का समय एवं तिथि	लॉटरी ड्रा स्थल का नाम व पता
1	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद	35/60	52	60.59	22.09.2025 दिन सोमवार प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक	वसुन्धरा योजना सेक्टर-16 स्थित सेन्ट्रल मार्केट प्रथम तल
2		36/75	76	75.00		
3		66/112	56	112.50		
4		95/162	42	162.00		

नोट :- 1- उपरोक्त निर्धारित तिथि पर आवेदक लाटरी ड्रा स्थल पर समयानुसार पंजीकरण की प्रति मूलरूप में एवं व्यक्तिगत पहचान-पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड आदि के साथ प्रातिभाग कर सकते हैं। 2- कोविड के दृष्टिगत शासन/ जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। 3- पंजीकरण पुस्तिका के आवंटन नियम बिन्दु सं0-2.9 के अनुसार एक मुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी, लॉटरी ड्रा सर्वप्रथम एकमुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात भवन अवशेष रहते हैं तो किशतों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक ड्रा से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत करना है कि वैध आवेदकों की सूची आवंटन/ पात्रता चयन तिथि से एक दिन पूर्व परिषद कार्यालय परिसर में चस्पा कर दी जायेगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो आवंटन/ पात्रता चयन दिनांक से दो कार्य दिवस पूर्व से पहले तक अपनी आपत्ति का निराकरण परिषद नियमानुसार करा सकते हैं। 4- वैध/ अवैध आवेदकों की संख्या घट-बढ़ सकती है। 5- आवंटन/ पात्रता ड्रा का परिणाम/ पात्रता चयन के पश्चात परिषद की वेबसाइट www.upavp.in/PUBLIC_NOTICE पर उपलब्ध होगा।

आवास आयुक्त

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

(किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे)

Facebook Twitter Instagram UPHousingBoard uphousingdevboard